न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ.केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा

रा.प्रा.पत्र संख्या 134/2017

प्रार्थीया
रूकमणी पत्नि रविशंकर जी उर्फ
रेवाशंकर जाति रावल आयु 47 साल
ग्राम पालडी आर तहसील सिरोही
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीया की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय

दिनांक 25–6–2018

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 7–7–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम मौजा पालडी आर पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही प्रार्थीया के खातेदारी की धृति (भूमि) खसरा नंबर 58 नये क्षेत्रफल क्रमशः 1.0500 व 0.3800 कुल क्षेत्रफल 1.4300 हेक्टेयर आयी हुई है एवं उक्त आराजी मे प्रार्थीया कदीम से आवागमन हेतू पडौस म मे स्थित खसरा संख्या 32 व 60 क्षेत्रफल क्रमशः 0.6800 हेक्टेयर व 0.1400 हेक्टेयर अप्रार्थी लैण्ड होल्डर श्री तहसीलदार, सिरोही की राजकीय भूमि मेसे रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीया के उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतू प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा उनके पडौस मे स्थित खसरा नंबर 32 व 60 राजकीय भूमि मेसे कदीमी रास्ते का उपयोग व उपभोग उक्त कृषि आराजी पर वर्षो से करते आ रहे है।प्रार्थीया के उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 32 व 60 राजकीय भूमि मेस होकर स्थित है जो आगे मुख्य मार्ग से जुडा हुआ है उक्त रास्ते से ही प्रार्थीया काश्त हेतू कृषि संसाधन ट्रेक्टर ट्रोली, कलटी बैलगाडी इत्यादि लाने ल`ले जाने हेतू उपयोग व उपभोग करती आ रही है, पपरन्तजु उक्त वर्तमान मे उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम ननही होने से प्रार्थीया को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही होने से आये दिन लोग बाधित कर प्रार्थीया के आवागमन मे बाधा उत्पन्न करते है एवं उक्त कदमी रास्ते को प्रार्थीया के निवेदन के बावजूद आज तक राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नही किये जाने से प्रार्थीया को निकट भविष्य मे बहुविवाद मे उपलझने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुये एवं परिणामस्वरूप प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकारों व सुखाधिकारों के हनन होने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुये प्रार्थीया की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उपधारा (1) के अधीन यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया को पेश करने का कारण पैदा होने से पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001
सिरोही (राज.)

Continue Page No...2

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा पालडी पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर नया 136 खसरा नंबर 58 रकबा 1.0500 हेक्टेयर किस्म बारानी I तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.3800 हेक्टेयर किस्म बारानी I अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार-सिरोही)के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 32 रकबा 0.6800 हेक्टेयर किस्म गै.मु. तथा खसरा नंबर 60 रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. नक्शा किश्तवार प्रार्थीया का भामाशाह कार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 7–7–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 15–9–2017 को उक्त नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

आज दिनांक 25–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील श्री प्रकाश प्रजापत तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही उपस्थित हुयें । तहसीदार-सिरोही ने मौके एवं रेकर्ड के आधारित मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट पेश की जिसको शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार -सिरोही ने उक्त मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट मे यह कथन किया कि मौजा पालडी आर मे प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 58 रकबा 1.0500 हेक्टेयर व खसरा नंबर 62 रकबा 0.3800 हेक्टेयर आयी हुई है जो मोजूदा खतौनी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 136 मे दर्ज है। प्रार्थीया को वर्णित खातेदारी भूमि पर पहुँचने हेतु गांव पालडी से पिपलकी को जाने वाले रास्ते से जुडते हुये खसरा नंबर 32 व 60 मेसे जाना पडता है जिसका राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि अर्थात खसरा नंबर 58 व 62 पर जाने हेतु प्रार्थीया को 6 मीटर चौडाई मे रास्ता दिया जाना अपेक्षित व उचित रहेगा । खसरा नंबर 32 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.6800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 का कुल रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि है। प्रस्तावित रास्ते का खसरा नंबर 32 मे रकबा 0.0600 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 मे रकबा 0.0168 हेक्टेयर बन रहा है। अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हो रहा है। प्रस्तावित मार्ग (रास्ता) प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पपर पहुँचने का नजदीकी व उचित है। प्रस्तावित मार्ग (रास्ता) ग्राम पालडी से पिपलकी को जाने वाले पक्की सडक से प्रारम्भ होकर खसरा नपंबर 58 तक पहुँचेगा । प्रस्तावित रास्ते की भूमि से संबंधित किसी भी न्यायालय मे कोई वाद इत्यादि विचाराधीन नही है एव ना ही कोई स्थगन इत्यादि है। प्रस्तावित भूमि नगर परिषद सिरोही की परिधीय सीमा मे स्थित है।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया ।विचारण सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली मय प्रार्थनापत्र मय राजस्व रेकर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की उक्त जमाबंदीयॉ -प्रतियों नक्शा किश्तवार व जवाब अप्रार्थी तहसीलदर-सिरोही का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No.-3

पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि अर्थात खसरा नंबर 58 व 62 पर जाने हेतु प्रार्थीया को 6 मीटर चौडाई मे रास्ता दिया जाना अपेक्षित व उचित रहेगा । खसरा नंबर 32 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.6800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 का कुल रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि है। प्रस्तावित रास्ते का खसरा नंबर 32 मे रकबा 0.0600 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 मे रकबा 0.0168 हेक्टेयर बन रहा है। अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हो रहा है। प्रस्तावित मार्ग (रास्ता) प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पपर पहुँचने का नजदीकी व उचित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि कम कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया को अपनी खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ट्रेक्टर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीया द्वारा मांगी गई उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अत :अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि अर्थात खसरा नंबर 58 व 62 पर जाने हेतु प्रार्थीया को 6 मीटर चौडाई मे रास्ता दिया जाना अपेक्षित व उचित रहेगा । खसरा नंबर 32 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.6800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 का कुल रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि है। प्रस्तावित रास्ते का खसरा नंबर 32 मे रकबा 0.0600 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 मे रकबा 0.0168 हेक्टेयर बन रहा है। अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हो रहा है। प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते हैः—

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीया को मौजा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि अर्थात खसरा नंबर 58 व 62 पर जाने हेतु प्रार्थीया को 6 मीटर चौडाई मे रास्ता दिया जाना अपेक्षित व उचित रहेगा । खसरा नंबर 32 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.6800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 का कुल रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि है। प्रस्तावित रास्ते का खसरा नंबर 32 मे रकबा 0.0600 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 मे रकबा 0.0168

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No... 4

हेक्टेयर बन रहा है। अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हो रहा है। उक्त रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई भूमि की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार ⸗सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार⸗सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार ⸗सिरोही) की खातेदारी की उक्त अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार⸗सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि अर्थात खसरा नंबर 58 व 62 पर जाने हेतु प्रार्थीया को 6 मीटर चौडाई मे रास्ता दिया जाना अपेक्षित व उचित रहेगा । खसरा नंबर 32 का कुल रकबा रेकर्ड अनुसार 0.6800 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 का कुल रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि है। प्रस्तावित रास्ते का खसरा नंबर 32 मे रकबा 0.0600 हेक्टेयर व खसरा नंबर 60 मे रकबा 0.0168 हेक्टेयर बन रहा है। अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हो रहा है। उक्त रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई है को उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

25/6/18
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) 307001
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर⸗पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

25/6/18
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) 307001
सिरोही

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)